मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 4 मार्च, 2004 (फाल्गुन 14, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम-1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 (4) की अपेक्षानुसार भोपाल एवं उज्जैन दंगा जांच आयोग का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2000 द्वारा न्यायमूर्ति श्री के.के. दुबे, एकल सदस्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले में कृषकों से खरीदी गई धान का उठाव न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले के मुलताई नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल संकट की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम कोनी से पैपखरा, पोखरा, तलटी एवं रूपौली में विद्युत लाईन डाले जाने, तथा

(ख) ग्राम चौरा स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) डॉ. कमलापत आर्य, सदस्य, भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंध नदी के लिघोरा (भिटोरा), सेकरी (पांच) तथा बारकरी तट पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने,

(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम नादनेर स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ख) बनवारी-पिपरिया कलां मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने,

(4) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) हनुमना-शाहपुर-बहुतीफाल मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने,

(ख) ग्राम बहेरा डाबर से पिपराही एवं पिपराही से जड़कुड़ तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम पिपराही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम पिपराही में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

(5) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम रैगांव में पुलिस थाना खोले जाने,

(ख) रैगांव-करतरा-सिंहपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम कोठी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम कोठी में महाविद्यालय खोले जाने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के सीतामऊ नगर में महाविद्यालय खोले जाने,

(7) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम नई गढ़ी को तेन्दुआ-देवतालाब सड़क से जोड़े जाने,

(8) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम हिनौती के पंडितान टोला से गड़रिया तालाब तक सड़क बनाये जाने, एवं

(9) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम सागौनी स्थित प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2004